an>

Ttile: Need to expedite the construction of Koderma-Hazaribagh railway project.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से झारखण्ड प्रदेश के गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत गिरिडीह-कोडरमा रेल लाइन, जो वर्ष 2000 में शुरू की गयी थी और रेलवे द्वारा लखारी, बक्सीडीह के मौजा का भूमि अधिग्रहण किया गया। भूमि अर्जन पदाधिकारी द्वारा भू-स्वामियों को लगभग दस करोड़ रुपये का मुआवज़ा भुगतान कर दिया गया। पुनः रेल विभाग द्वारा उक्त भूमि पर रेल परियोजना को स्थगित करते हुए पुनः अंटूडीह, चंदाडीह, सिहोडीह, दियरिया कला होते हुए रेल परियोजना शुरू करने और भूमि अधिग्रहण करने का संशोधित निर्देश दिया गया है। परिणामस्वरूप भूमि का मुआवज़ा, भूमि का अधिग्रहण 11/19 नए नियम के तहत भूमि के स्वामित्व का भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की भूमि अधिग्रहण की धारा 5.6 के अंतर्गत भूमि मुआवज़ा प्रदान करने की कार्रवाई की गयी थी। प्रश्न यह है कि रेलवे के संशोधित निर्णय के कारण उक्त रेल परियोजना कार्य में विलम्ब होने से हजारों रेल उपभोक्ताओं को सजा मिल रही है। ज्ञातव्य है कि कोडरमा-हज़ारीबाग रेल परियोजना की शुरूआत वर्ष 1999 में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गयी थी, जिसे 20 जनवरी को संपन्न होना था और इस मार्ग की रेल परियोजना शुरू होने वाली थी। परन्तु, इसमें विलम्ब होने के कारण यह अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

अतः हमारा सरकार से, रेल मंत्रालय से आग्रह है कि गिरिडीह-कोडरमा रेल लाइन की अविलम्ब शुरूआत की जाए और इसे पूर्ण कराया जाए।